न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 161/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

हीरो हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी **धीरेन्द्र सिंह**
रजिस्टर्ड कार्यालयः– 09, कम्यूनिटी सेन्टर, बसंत लोक विहार, नई दिल्ली–110057 हाल जयपुर

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **प्रकाश चन्द्र जाट पुत्र गंगासहाय जाट**
   प्रथम पताः– पट्टा संख्या 42, ग्राम पंचायत अजीतगढ़, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.)
   द्वितीय पताः– अमेजद फैशन, फ्लेट नं. 301, प्लॉट नं. 37, श्री रेजीडेंसी, सूर्यनगर, मुरलीपुरा, जयपुर (राज.)
2. **सोनी देवी पत्नि गंगासहाय**
   प्रथम पताः– पट्टा संख्या 42, ग्राम पंचायत अजीतगढ़, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.)
   द्वितीय पताः– खाती ब्राह्मणों का मौहल्ला, हनुतपुरा जयपुर (राज.)
3. **महेश कुमार पुत्र गंगासहाय**
   प्रथम पताः– पट्टा संख्या 42, ग्राम पंचायत अजीतगढ़, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.)
   द्वितीय पताः– खाती ब्राह्मणों का मौहल्ला, हनुतपुरा जयपुर (राज.)
4. **अशोक कुमार जाट पुत्र गंगासहाय जाट**
   प्रथम पताः– पट्टा संख्या 42, ग्राम पंचायत अजीतगढ़, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.)
   द्वितीय पताः– खाती ब्राह्मणों का मौहल्ला, हनुतपुरा जयपुर (राज.)
5. **अभिषेक क्लोथ स्टोर जरिये प्रोपराईटर**
   प्रथम पताः– पट्टा संख्या 42, ग्राम पंचायत अजीतगढ़, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.)
   द्वितीय पताः– हरितवाल कॉम्पलेक्स, श्रीमाधोपुर, अजीतगढ़, सीकर

– अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 27 अक्टूबर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री दिनेश कुमार सैनी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **प्रकाश चन्द्र जाट पुत्र गंगासहाय जाट, सोनी देवी पत्नि गंगासहाय, महेश कुमार पुत्र गंगासहाय, अशोक कुमार जाट पुत्र गंगासहाय जाट** एवं **अभिषेक क्लोथ स्टोर जरिये प्रोपराईटर** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **पट्टा संख्या 42, ग्राम पंचायत अजीतगढ़, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 34 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में बाबूलाल कुमावत का मकान, पश्चिम दिशा में 13 फीट चौड़ी रोड़, उत्तर दिशा में मालीराम शर्मा का मकान एवं दक्षिण दिशा में गोदाराम का मकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹38,40,000/– रूपये (अक्षरे रूपये अड़तीस लाख चालीस हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **22.01.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी/ऋणी ओर से वकील श्री महेन्द्र बाजिया उपस्थित हुए परन्तु सम्पूर्ण बकाया ऋण भुगतान सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **22.01.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **प्रकाश चन्द्र जाट पुत्र गंगासहाय जाट, सोनी देवी पत्नि गंगासहाय, महेश कुमार पुत्र गंगासहाय, अशोक कुमार जाट पुत्र गंगासहाय जाट** एवं **अभिषेक क्लोथ स्टोर जरिये प्रोपराईटर** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **पट्टा संख्या 42, ग्राम पंचायत अजीतगढ़, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 34 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में बाबूलाल कुमावत का मकान, पश्चिम दिशा में 13 फीट चौड़ी रोड़, उत्तर दिशा में मालीराम शर्मा का मकान एवं दक्षिण दिशा में गोदाराम का मकान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

6. आदेश आज दिनांक **27 अक्टूबर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर